

e-mail

पत्र संख्या-ए0/एक्ट-07/2017.....5536/जे0

Fax

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

राज्य आयुक्त,
निःशक्तता (दिव्यांगजन),
समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
संयुक्त निदेशक(मु0),
समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।



पटना दिनांक.....16.08.2019

विषय:-

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु विशेष न्यायालय अभिहित किए जाने के संबंध में।
आपके विभाग का पत्रांक-825 दिनांक-22.07.2019 एवं पत्रांक-678 दिनांक-05.08.19

प्रसंग:-

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विभाग के प्रासंगिक पत्रों के क्रम में महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त पत्रांक-66897 दिनांक-16.08.19 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मामलों के निष्पादन हेतु राज्य के सभी सत्र खंडों के कनीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने का निर्णय लिया गया है।

इस हेतु विभाग द्वारा विहित प्रक्रियानुसार अधिसूचना निर्गत करने की कार्यवाई की जाएगी।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मदन किशोर कौशिक)
सरकार के सचिव, बिहार।

16.8.19

Sch. 1-6)

Letter No. 66897 /A.D. Apptt.

File No. -XXVII-12-2017



Dated, Patna the 16th August, 2019

The Law Secretary, to the Govt. of Bihar
Law (Judicial) Department, Patna.

Sub : Regarding designation of Sessions Court as Special Court under the Rights of Persons Under Disabilities Act, 2016.

Sir,

With reference to your Letter No. 5295 dated 05.08.2019 on the subject noted above, I am directed to say that the Hon'ble Court has been pleased to nominate the Junior most Additional District and Sessions Judge in all the Sessions Divisions of Bihar to try offences under Rights of Persons With Disabilities Act, 2016 and to request you to notify accordingly.

This may be treated as urgent.

Yours faithfully

Registrar General